FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh.

Office of the District Collector, **Shahdol**

P.O. Shahdol (M.P.)

*****

Dated..26/09/2014

No...7059

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **142.075** hectare of forest land proposed to be diverted in favour of **M/s. Birla Corporation Limited, Bikram Coal Block, Shahdol** for **diversion of forest land for underground and opencast mining of coal** in **Shahdol** district falls within jurisdiction of **Gopalpur & Bartara** village(s) in **Burhar** tehsils.

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **142.075** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **"A1"** to **"A2"** annexure **"B"** and Annexure **"C"**.

(b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Gopalpur & Bartara** village(s) is enclosed as annexure **"A1"** to annexure **"A2"**.

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encls.: As above.

Signature

(i) Annexure- "A1" - Gram Sabha village Gopalpur.
(ii) Annexure- "A2" - Gam Sabha village Bartara.
(iii) Annexure- "B" - Block Level Committee.
(iv) Annexure- "C" - District Level Commitee.

(Dr. Ashok Kumar Bhargava)
Collector, Shahdol
District- Shahdol (M.P.)

Collector
SHAHDOL (M.P.)

<u>कार्यालय कलेक्टर जिला शहडोल (म.प्र.)</u>

<u>प्रमाण पत्र</u>

शहडोल, दिनांक   / 03 / 2011

प्रमाणित किया जाता है कि तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के ग्राम गोपालपुर एवं बरतरा के राजस्व वन क्षेत्र के निम्नांकित अराजियों का मे. बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड विक्रम कोल ब्लाक, शहडोल की परियोजना के लिये व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है, में अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत व्यपवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया शेष है।

अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि मे. बिरला कार्पोरेशन विक्रम कोल ब्लाक शहडोल परियोजना मे व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित कुल रकवा 9.020 हे. वन राजस्व भूमि पर उसके चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत लंबित अथवा अनिर्णित नही है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि वन राजस्व भूमि व्यपवर्तन का उपरोक्त प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों कि ग्राम सभा के समक्ष रखा जा चुका है। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण तथा उसके प्रभावों की व्याख्या उन्हें स्थानीय भाषा में की जा चुकी है। निम्नांकित अराजियों पर अतिक्रामकों का अतिक्रमण होना पाया गया है किन्तु अतिक्रामको के आवेदित क्षेत्र पर दावा विनिश्चयन प्रगति पर है। (जिले के अंतर्गत आवेदित वन राजस्व वन क्षेत्र 9.020 हे. में किसी रहवारा या राजस्व ग्राम की सीमा नही है।)

आवेदित क्षेत्र एवं उस पर अतिक्रमकों की सूची :-

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हेक्टर में)	अतिक्रमित रकवा (हे0 में)	अतिक्रामक के नाम
1.	बरतरा	809 / 1	0.040	0.040	1. देवमन पिता चरकू चर्मकार 2. रघुनाथ पिता चरकू चर्मका
		832 / 1	1.036	0.809	1. शैलेन्द्र प्रताप सिंह
		1428 / 1	1.137	1.137	1. बब्बू पिता भद्दू कोल 2. शिवपाल पि. हरीदीन चौधरी 3. रामलाल पिता हरीदीन चौधरी 4. जयदीन पि. पुर्न चौधरी 5. शिवप्रसाद पि कोइईया चौधरी 6. मातादीन पि. कोइईया चौधरी
		1432	0.231	0.231	1. छोटेलाल पि. [illegible] बैगा 2. बाबूलाल पि [illegible] बैगा
		1435 / 1	0.203	0.203	1. शिवलाल पि. हरीदीन चौधरी 2. रामलाल पि हरीदीन चौधरी
		1437 / 1 का अंश भाग	0.810	0.810	रतिलाल पि. अमराइना बैगा
		1444	0.101	मौके से खाली	–
		1542	0.065	0.065	शिवलखन पिता दादू राम ब्राम्हण
		1546 / 1	1.154	1.154	1. मोलू पिता लाधा कोल 2. लालू पि. लाधा कोल 3. रक्खू पि. लाधा कोल 4. लोली पि. [illegible] कोल 5. [illegible] पिता [illegible] कोल
		1599	0.729	मौके से खाली	–
	कुल किता	10	5.506	4.449	

2.	गोपालपुर	90	0.081	0.081	रामलाल पिता महगू कोल
		95	0.769	मौके से खाली	--
		99 का अंश भाग	0.101	मौके से खाली	
		182/2 का अंश भाग	0.506	0.506	1. दलबी पिता ठेमानी कोल 2. ददला पिता ठेमानी कोल
		189	0.069	0.069	पितु पिता ललुवा कोल
		195	0.717	मौके से खाली	--
		233/1	1.217	1.217	बेसहना पिता कुंजा कोल
	कुल किता	7	3.46	1.873	

3, यह भी प्रमाणित किया जाता हैह कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) (म) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है।

4, प्रमाणित किया जाता है कि शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन राजस्व भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जावेगी, तथा प्रभावित ग्राम सभाओं की इसमें सहमति है।

उपरोक्त ग्राम का कुल रकबा 9.020 हे. वन राजस्व भूमि मे. बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड विक्रम कोल ब्लाक शहडोल की परियोजना के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है, मे आवेदक कंपनी द्वारा उक्त अतिक्रमकों को क्षतिपूर्ति देने या शासन की पुनर्वान नीति के अंतर्गत सुविधा प्रदान करने अथवा भूमि के बदले भूमि दिये जाने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में मे. बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड विक्रम कोल ब्लाक शहडोल की परियोजना को सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(नीरज दुबे)
कलेक्टर
एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति
शहडोल (म.प्र.)

पृष्ठा. क्रमांक/आर.एम./2011/ 1914 शहडोल, दिनांक 2/04/2011
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य वन संरक्षक, शहडोल (म.प्र.)।
2. वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल-दक्षिण शहडोल (म.प्र.)।
3. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सोहागपुर (म.प्र.)।
4. तहसीलदार सोहागपुर/अतिरिक्त तहसीलदार बुढ़ार जिला शहडोल (म.प्र.)।
5. मे. बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड विक्रम कोल ब्लाक शहडोल (म.प्र.)।

कलेक्टर
एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति
शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) शहडोल म0प्र0

क्रमांक / वन अधिनियम / 2010 / 7076 / शहडोल, दिनांक 14.10.2010

प्रति,

वाईस प्रेसीडेंट
बिरला कारपोरेशन लिमिटेड
सीमेंट डिवीजन पो0 बिरला विकास
जिला–सतना म0प्र0

विषय:– शहडोल जिले में आवंटित विक्रम कोल ब्लाक में शामिल 151.095 हे0 वन भूमि / राजस्व वन भूमि में भूमिगत खनन एवं उपरितल उत्खनन का प्रस्ताव ।

000

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया अपने कार्यालयीन पत्र दिनांक 6.10.10 का अवलोकन करने का कष्ट करें ।शहडोल जिले के जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम गोपालपुर एवं बरतरा के आवेदित क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम 2006 अन्तर्गत प्रदाय अधिकार पत्र की जानकारी चाही गयी है ।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 अन्तर्गत माह सितम्बर / 10 की स्थिति में ग्राम गोपालपुर के 02 दावेदारों को हक प्रमाण–पत्र प्रदाय किया गया है जिसकी जानकारी संलग्न है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार.

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास शहडोल
म0प्र0

पृ0क्रमांक / वन अधिनियम / 2010 / / शहडोल, दिनांक 14.10.2010

प्रतिलिपि–

1. मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त जिला शहडोल की ओर जानकारी की एक प्रति सहित सूचनार्थ ।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास शहडोल
म0प्र0

कार्यालय ग्रामसभा बरतरा जनपद पंचायत सोहागपुर, जिला शहडोल (म0प्र0)

ग्रामसभा का सहमति पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड सतना की विक्रम कोल ब्लाक शहडोल में कोयला उत्खनन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरे पंचायत के क्षेत्र के ग्राम बरतरा के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड बुढार के कक्ष क्रमांक 827 में राजस्व वन क्षेत्र के **खसरा क्रमांक 809/1, 832/1, 1428/1, 1432, 1435/1, 1437/1, 1444, 1542, 1546/1, 1599, कुल किता 10 कुल रकबा 5.506 हे0** में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।

2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्रामसभा की बैठक दिनांक 11/5/11 को की गई, जिसमें ग्रामसभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।

3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के काबिज क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा, ग्रामसभा में व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।

4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप सम्पादित किए जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की सम्भावना है, अतः ग्रामसभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती हैं।

संलग्न – ग्राम पंचायत की कार्यवाही
दिनांक– 11/5/11

प्रधान/सचिव
हस्ताक्षर/नाम एवं मुद्रा सहित

सचिव
ग्राम पंचायत बरतरा
ग्राम पंचायत बरतरा ज.पं. सोहागपुर, शहडोल (म.प्र.)
जिला शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय ग्रामसभा गोपालपुर जनपद पंचायत सोहागपुर, जिला शहडोल (म0प्र0)

ग्रामसभा का सहमति पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड सतना की विक्रम कोल ब्लाक शहडोल में कोयला उत्खना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरे पंचायत के क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड बुढ़ार के कक्ष क्रमांक 828 में राजस्व वन क्षेत्र के खसरा क्रमांक 90, 95, 99, 182/2, 189, 195, 233/1 कुल किता 7 कुल रकबा 3.514 हे0 में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।

2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्रामसभा की बैठक दिनांक ....15.5.2011को की गई, जिसमें ग्रामसभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।

3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के काबिज क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा, ग्रामसभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।

4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप सम्पादित किए जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की सम्भावना है, अतः ग्रामसभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न — ग्राम पंचायत की कार्यवाही
दिनांक— 15.5.2011

प्रधान/सचिव

हस्ताक्षर/नाम एवं मुद्रा सहित

कार्यालय ग्राम पंचायत बरतरा जनपद पंचायत सोहागपुर जिला शहडोल (म०प्र०)

क्रमांक	दिनांक	उपस्थित सदस्यों का नाम	विषय	संक्षिप्त कार्यवाही एवं निर्णय	हस्ता०
1.	14-4-2011	श्री भल्लू कोल	प्रस्ताव क्र. 6 बिरला कार्पोरेशन लिमि० सतना द्वारा ग्राम बरतरा की राजस्वभूमि के व्यपवर्तन के सहमति बावत्	आज दिनांक 14/4/2011 को श्री भल्लू कोल सरपंच की अध्यक्षता में बैठक प्रारंभ की गई। जिसमे कोरम पूर्ण रहा। प्रस्ताव :- श्री घिसलू पंच द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि पंचायत के आरक्षित संरक्षित वन क्षेत्र के वनखण्ड बुढार के कक्ष क्रमांक 827 में राजस्व वन क्षेत्र के खसरा क्रमांक 809/1, 832/1, 1428/1, 1432, 1435/1, 1437/1, 1444, 1542, 1546/1 एवं 1599 कुल किता 10 कुल रकबा 5.506 हे० राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव बिरला कार्पो० लि० सतना के नाम किया जाय, क्योंकि उक्त वनभूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप सम्पादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की सम्भावना है, अतः उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया जाता है।	सही सही
2.		" लल्ला कोल			
3.		" पुनुआ			
4.		" शोभे			
5.		" घिसलू			
6.		" हुकुमदास			
7.		श्रीमती फगुनी			
8.		" शकुन्तला			
9.		" गीता			
10.		" जगमुन			
11.		" मुन्नी			
		उपस्थित सदस्यों की संख्या 200			

भल्लू
सरपंच
ग्राम पंचायत बरतरा
ज.पं.सोहागपुर,जि.शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय ग्राम पंचायत - गोपालपुर जनपद पंचायत सोहागपुर जिला शहडोल (म० प्र०)

ग्राम सभा कार्यवाही नकल ग्राम पंचायत गोपालपुर

क्र०	दिनांक	उपस्थित सदस्यों का नाम	विषय	कार्यवाही एवं निर्णय	हस्ताक्षर
07	14. 4. 2011	श्री मती गुड्डी बाई सरपंच श्री विजय भूषण शुक्ला (उपसरपंच) पंच श्री मती जुगी बाई कोल —"— विमला —"— —"— शीतली —"— —"— "— ओमिया बैगा —"— सन्तोष कोल —"— प्रेमलाल —"— —"— चन्दन कोल	श्री मती जुगी बाई कोल पंच द्वारा प्रस्ताव किया गया कि बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड सतना द्वारा ग्राम पंचायत गोपालपुर की राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन के सम्बंध बाबत।	चर्चा के दौरान यह आई कि राजस्व वन भूमि ख० 90, 95, 99, 182/2, 189, 195 223/1 कुल किता 7 कुल रकबा 3.514 हे० भूमि मेसर्स बिरला कार्पो० लिमि० सतना को व्यपवर्तन किये जाने में ग्राम सभा में चर्चा की और चर्चा किया गया कि उपरोक्त राजस्व वन भूमियों के व्यपवर्तन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास की सम्भावना है साथ ही पंचायत क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे अत: उपस्थित सदस्यों द्वारा एक स्वर्ण मत से उक्त प्रस्ताव का समर्थन कर ग्राम सभा के समक्ष अनुमोदन किया गया।	सही / सही / सही

गुड्डी बाई
सरपंच
ग्राम पंचायत गोपालपुर
ज.पं. सोहागपुर, जिला-शहडोल (म.प्र.)

[signature]
सचिव
ग्राम पंचायत गोपालपुर
ज.पं. सोहागपुर, जिला-शहडोल (म.प्र.)